न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00108

1. श्रीमती सुन्दर बाई आयु 91 वर्ष विधवा पत्नी श्री अमरा (मृतक) ।
2. मांगीलाल आयु 62 वर्ष आत्मज श्री अमरा ।
3. माधो आयु 88 वर्ष आत्मज श्री बाला जातियान मेहर निवासीगण तीरथ जिला बून्दी हाल निवासी कोटा जंक्शन कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रामचन्द्र आयु बालिग पत्नी श्री नन्दकिशोर ।
2. रामस्वरूप आयु बालिग आत्मज श्री नन्दकिशोर ।
3. पृथ्वीराज आयु बालिग आत्मज नन्दकिशोर ।
4. जगदीश आयु बालिग आत्मज नन्दकिशोर ।
5. बलराम आयु बालिग आत्मज श्री नन्दकिशोर जातियान मीणा निवासी तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. श्रीमती धनकंवर आयु बालिग पुत्री श्री नन्दकिशोर पत्नी श्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. श्रीमती गीता आयु बालिग पुत्री नन्दकिशोर पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी ग्राम हालीहेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. श्रीमती ग्यारसी आयु बालिग विधवा पत्नी श्री मोडू ।
9. बजरंगा आयु बालिग आत्मज मोडू ।
10. महावीर आयु बालिग आत्मज श्री मोडू ।
11. रामचरण आयु बालिग आत्मज श्री मोडू ।
12. सीताराम आयु बालिग आत्मज श्री मोडू जातियान मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
13. लटूर आयु बालिग आत्मज रामा ।
14. रामदेव आयु बालिग आत्मज सरया उर्फ श्रीकिशन ।
15. भैरूलाल आयु बालिग आत्मज सरया उर्फ श्रीकिशन (मृतक) जरिये कायममुकामान :-

    15/1. श्रीमती सोसर बाई आयु 71 वर्ष विधवा पत्नी श्री भैरूलाल ।

    15/2. श्री अणदी लाल आयु 45 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भैरूलाल ।

    15/3. श्री चतुर्भुज आयु 43 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भैरूलाल ।

    15/4. श्री उच्छबलाल आयु 38 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भैरूलाल ।

    15/5. श्री सत्यनारायण आयु 35 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भैरूलाल जातियान मीणा निवासीगण तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

    15/6. श्रीमती द्वारका बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी श्री हनुमान जाति मीणा निवासी चांदनहेली तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

15/7. श्रीमती अयोध्या बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी श्री दुर्गालाल जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली पंचायत जलौदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
15/8. श्रीमती बसन्ती बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी श्री जगमोहन जाति मीणा निवासी देलून्दा (खालों का) तहसील एवं जिला बून्दी ।
16. शान्तिलाल आयु बालिग आत्मज श्री सरया उर्फ श्रीकिशन ।
17. धूली लाल आयु बालिग आत्मज श्री बरधा जातियान मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
18. श्रीमान् तहसीलदार, तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी ।
19. श्रीमान् तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

उपस्थित :— 1. श्री तेजसिंह गौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 7 की ओर से ।
3. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 9 लगायत 12 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 10.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 के पिता (मृतक) नन्दकिशोर ने दावा संख्या 576/2000 अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम तीरथ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1943 की रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित है । उक्त भूमि के सेटलमेंट के बाद एवं केचमेंट के पूर्व के खसरा नम्बर 246 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा थे । सेटलमेंट से पूर्व पुराना खसरा नम्बर 78 था । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में मोडू पिसरान मु0 मंगला, रामा वल्द नन्दा कौम मीणा हिस्सा 1/2, अमरा, माधो, बजरंगा, नारायण पिसरान बाला कौम मेहर हिस्सा 1/2 दर्ज है । सेटलमेंट के बाद उक्त आराजी केचमेंट से पूर्व मंगला, रामा पिसरान नन्दा हिस्स 1/2 एवं बाला आत्मज गोपाल हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज थी एवं सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी खसरा नम्बर 78/1 रकबा 07 बीघा मंगला, रामा, सरया पिसरान नन्दा के खाते में एवं खसरा नम्बर 78 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा बाला आत्मज गोपाल जाति मेहर के नाम खातेदारी में दर्ज थी । वर्तमान में पूर्व खातेदार रामा, मंगला, सरया की मृत्यु हो चुकी है । रामा के 02 पुत्र मोडू एवं लटूर हुए जिसमें से मोडू, मंगला की मृत्यु के बाद उसके गोद चला गया एवं मंगला लाऔलाद फौत हो गया एवं सरया के एक पुत्र रामदेव है जो प्रतिवादी कम 03 है । प्रतिवादी कम 1 व 2 के पिता श्री रामा ने प्रतिवादी संख्या 03 रामदेव की उपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के पितृगण मंगला एवं सरया की मृत्यु के बाद दिनांक 09.03.1979 को वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 78 रकबा 07 बीघा जिसका नया नम्बर सेटलमेंट के बाद खसरा नम्बर

246 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा संभला दिया तब से ही वादी उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 05 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे और उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.1996 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 11.04.2000 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2000 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक अन्य वाद संख्या 701/2002 माधो बनाम ग्यारसी को समेकित करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2017 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 4 के कायममुकामान एवं प्रतिवादी कम 05 अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2017 निरस्त करने का कथन किया । साथ ही रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 7 ने कॉस अपील पेश की ।

7. अपील अपीलान्ट व कॉस अपील दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में वादी नन्दकिशोर द्वारा दावा पेश किया गया था जिसे मोडू के साथ अपीलान्ट का काउन्टर दावा समेकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करते वादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है और प्रतिवादी अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट माधो एवं अन्य का 1/2 हिस्सा दर्ज है फिर भी अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है । अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनको अपीलान्ट के खाते की आराजी में खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती । अपीलान्ट ने अपने 1/2 हिस्से के इन्द्राज को दुरूस्त करने और रेस्पोडेन्ट को बदेखल करने की प्रार्थना की थी इसको खारिज करने में भारी भूल की है ।

रेस्पोडेन्ट क्रम 08 लगायत 17 के पूर्वजों के द्वारा अपने 1/2 हिस्से को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 से क्रय किया था । विक्रय पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति के विक्रेता और अनुसूचित जनजाति के क्रेता के पक्ष में किये गये 1/2 हिस्से के विक्रय के आधार पर खातेदारी घोषणा की प्रार्थना की थी परन्तु अपीलान्ट के द्वारा जो अनुतोष चाहा था वो प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट ने काउन्टर दावा सम्पूर्ण आराजी का किया था । अपीलान्ट के पक्ष में बेदखल की सहायता प्रदान नहीं करने में त्रुटि की है । तनकीयात की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की गई है । मृतक नन्दकिशोर के पक्ष में खातेदारी की घोषणा की है जबकि कि उनके कायममुकामान रिकॉर्ड पर हैं । अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि में इकरारनामा के आधार पर एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही है जिसका कोई विवेचन नहीं किया गया है । धारा 42 बी के उल्लंघन में न तो कब्जा मुखालफाना बनता है और न ही खातेदारी प्रदान की जा सकती है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 508 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 के विद्वान् अभिभाषक ने कथन किया है कि दावा संख्या 701/2002 माधो बनाम ग्यारसी में प्रतिवादी संख्या 10 नन्दकिशोर आत्मज बरधा के कायममुकामान की आर से इस आशय का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 की रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा जिसके केचमेंट में 1943 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा कायम होने के बाद 1/2 हिस्से के बाबत् तत्कालीन खातेदारान अमरलाल, माधोलाल पिसरान बाला के द्वारा एक इकरारनामा दिनांक 27.10.1992 को नन्दकिशोर आत्मज बरधा के हक में निष्पादित कर यह इकरार किया है कि हमारे पिता ने 30 वर्ष पूर्व बेचान कर सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली थी और कब्जा नन्दकिशोर को संभला दिया था । वादीगण तीरथ गॉव छोडकर कोटा चले गये हैं । बेचान के आधार पर नन्दकिशोर एवं उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 इस पर निरन्तर काबिज हैं । अपीलान्टगण ने काउन्टर क्लेम का कोई जवाब पेश नहीं किया है । नन्दकिशोर के द्वारा 1979 में कब्जा करने का कथन करते हुए सन् 2002 में दावा अपीलान्ट वादीगण ने पेश किया है जो अवधि बाधित है । इकरारनामे को साक्ष्य से साबित किया है । गवाहों ने 40 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर नन्दकिशोर का कब्जा प्रमाणित किया है । अपीलान्ट की कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । ऐसी स्थिति में उनका इस आराजी पर कोई अधिकार शेष नहीं रहता है उनके अधिकार समाप्त हो चुके हैं । यदि धारा 42 बी का उल्लंघन है तो भी सरकार 30 वर्ष के भीतर कार्यवाही कर सकती है । 30 वर्ष बाद सरकार की कार्यवाही अवधि बाधित हो जाती है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर क्रॉस–ऑब्जेक्शन अपील स्वीकार कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे । अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यूएलएन 2009 (3) पेज 26 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी नन्दकिशोर के द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का एक दावा पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 1943 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा हैं उसमें मोड़ू आत्मज मंगला, रामा वल्द नन्दा कौम मीणा का 1/2 हिस्सा एवं अमरा, माधो, बजरंगा, नारायण पिसारान बाला कौम मेहर का 1/2 हिस्सा दर्ज है । सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 78/1 रकबा 07 बीघा मंगला, रामा, सरिया पिसरान नन्दा और खसरा नम्बर 78 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा बाला आत्मज गोपाल जाति मेहर के खाते में दर्ज था । पूर्व खातेदार रामा,

मंगला एवं सरिया की मृत्यु हो चुकी है । रामा के 02 पुत्र हुए मोडू एवं लटूर जिसमें मोडू, मंगला की मृत्यु के पश्चात् गोद चला गया और सरिया के एक पुत्र है रामदेव । प्रतिवादी क्रम 01 व 2 के पिता रामा ने प्रतिवादी क्रम 03 रामदेव की उपस्थिति में मंगला और सरिया की मृत्यु के पश्चात् सन् 1979 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी साबिक खसरा नम्बर 78 रकबा 07 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 246 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 15 बिस्वा का विक्रय कर कब्जा वादी को संभला दिया था । अतः उन्हें इस आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । प्रकरण में दिनांक 11.04.2000 को इस न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया ।

11. परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 26.02.2003 को जो जवाबदावा पेश किया गया था उसको स्वीकार करते हुए आगे की कार्यवाही करने के निर्देश माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.12.2011 से दिये गये हैं ।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेजात में विक्रय पत्र प्रदर्श– 1 जिसके अनुसार रामा ने खसरा नम्बर 1943 की 10 बीघा 13 बिस्वा में से 05 बीघा 15 बिस्वा आराजी नन्दकिशोर को विक्रय की है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 246 की रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा में मंगला, रामा, आत्मज नन्दा हिस्सा 1/2 और बाला आत्मज गोपाल हिस्सा 1/2 दर्ज है । प्रदर्श– 3 व 4 नक्शा ट्रेस की प्रति है । प्रदर्श– 5 मिलान क्षेत्रफल की प्रति है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 78 के हाल खसरा नम्बर 246 कायम किये गये हैं । प्रदर्श– 6 नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग है जिसमें प्रदर्श– 2 के अनुसार खातेदार दर्ज हैं । प्रदर्श– 7 नकल जमाबन्दी है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 78 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा के साथ अन्य खसरा नम्बर को मिलाते हुए 02 किता की 04 बीघा 10 बिस्वा आराजी बाला वल्द गोपाल कौम मेहर के खाते में दर्ज है । प्रदर्श–8 में खातेदार का नाम पठनीय नहीं है । प्रदर्श– 9 में खसरा नम्बरान 78/1 की आराजी 07 बीघा मंगला, रामा, सरिया पिसरान नन्दा के खाते में दर्ज है । इस प्रकार नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 में सरिया का नाम कि आधार पर हटाया गया है यह वादी ने स्पष्ट नहीं किया है । प्रदर्श– 11 लगायत 21 रसीदात की प्रतियॉ हैं । प्रदर्श– 15 नकल जमाबन्दी है जिसमें हाल खसरा नम्बर 1943 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा में मोडू पिसरान मंगला, रामा वल्द नन्दा हिस्सा 1/2, अमरा, माधो वगै0 हिस्सा 1/2 दर्ज है । प्रदर्श– 15 दो बार अंकित किया गया है । प्रदर्श– 24 लगायत 35 रसीदात की प्रतियॉ हैं । प्रदर्श–37 मिलान क्षेत्रफल की नकल है । प्रदर्श– 38 नकल जमाबन्दी संवत् 2023–26 है । प्रदर्श–39 नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2047 है । प्रदर्श– 40 नकल जमाबन्दी संवत् 2023–26 है जिसके अनुसार मंगला, सरिया, रामा के खाते में अन्य खसरा नम्बरान के साथ–साथ खसरा नम्बर 78/1 की रकबा 07 बीघा आराजी भी दर्ज है ।

13. वादी की ओर से बयान नन्दकिशोर पीडब्ल्यू– 1, रामदेव पीडब्ल्यू–2, प्रभूलाल पीडब्ल्यू–3, शांतिलाल पीडब्ल्यू–4 एवं गोरधन पीडब्ल्यू– 5 कराये गये हैं । पूर्व में हजारीलाल के बयान भी पीडब्ल्यू– 2 के रूप में सन् 1984 के संलग्न हैं । पृथ्वीराज के बयान भी पत्रावली में पीडब्ल्यू– 1 के रूप में संलग्न हैं ।

14. प्रतिवादी की ओर से बयान मांगी लाल डीडब्ल्यू–1 के रूप में कराये गये हैं ।

15. जवाबदावा जो प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया है उसमें यह भी आपत्ति की है कि वादी ने सरया के पुत्र रामदेव को ही पक्षकार बनाया है जबकि उनके पुत्र शांतिलाल एंव धूलीलाल मौजूद हैं । साथ ही यह भी कथन किया है कि सन् 1979 के बाद से वादग्रस्त आराजी पर वादी का अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा है अतः कब्जा भूमि पर प्रतिवादीगण को दिलाया जावे । एक अन्य दावा माधो लाल एवं मांगीलाल ने प्रतिवादीगण के खिलाफ हक घोषणा एवं बेदखली का पेश किया है जिसमें सम्पूर्ण भूमि पर खातेदारी एवं बेदखली की सहायता मांगी है । इसका जवाबदावा नन्दकिशोर की ओर से पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि वादीगण के पूर्वजों ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 10 नन्दकिशोर को विक्रय कर दी थी तब से उसका कब्जा चला आ रहा है । इसके उपरान्त नन्दकिशोर के कायममुकामान की ओर से काउन्टर क्लेम पेश किया गया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब नन्दकिशोर के द्वारा जवाबदावा दिनांक 27.03.2004 को पेश किया जा चुका है तो उसके कायममुकामान को पुनः काउन्टर क्लेम पेश करने का विधिक अधिकार नहीं है । इस काउन्टर क्लेम में यह अंकित है कि तत्कालीन खातेदारान ने एक इकरारनामा दिनांक 29.10.1992 को किया गया था यह कथन किया था क हमारे पिता ने अपनी जिन्दगी में 30 वर्ष पूर्व आराजी विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर नन्दकिशोर को बेचान करके कब्जा संभला दिया था इस आराजी से हमारा कोई लेना–देना नहीं है । इस कारण काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर नन्दकिशोर के वारिसान को इस आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

16. इस दावे के साथ नक्शा ट्रेस प्रदर्श– डी–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 प्रदर्श–डी–2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– डी–3 और असल इकरारनामा प्रदर्श– 41 संलग्न है ।

17. नन्दकिशोर वादी के द्वारा परीक्षण न्यायालय में जो दावा पेश किया गया है उसमें जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है उसका अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 के अनुसार खसरा नम्बर 246 की 11 बीघा 09 बिस्वा आराजी में मंगला, रामा आत्मज नन्दा मीणा हिस्सा 1/2, बाला आत्मज गोपाल जाति मेहर का हिस्सा 1/2 दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 78 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 246 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा बना है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श–7 के अनुसार बाला वल्द गोपाल मेहर की खाते में साबिक खसरा नम्बर 78 की 04 बीघा 09 बिस्वा आराजी दर्ज है और नकल जमाबन्दी प्रदर्श–9 के अनुसार मंगला, सरया और रामा पिसरान नन्दा के खाते में 78/1 की 07 बीघा आराजी दर्ज है । इस प्रकार नकल जमाबन्दी प्रदर्श–7 और प्रदर्श– 9 का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से साबिक खसरा नम्बर 78 और 78/1 दोनों को मिलाकर मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5 में एक खसरा नम्बर के रूप में अंकित कर दिये हैं और नये खसरा नम्बर में मंगला, रामा आत्मज नन्दा को 1/2 हिस्से का और बाला को 1/2 हिस्से का सहखातेदार अंकित कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि नकल जमाबन्दी प्रदर्श–9 में मंगला और रामा के साथ सरया भी सहखातेदार है और प्रदर्श–2 में सरया का नाम हटा दिया गया है । सरया का नाम किस आधार पर हटाया गया यह स्पष्ट नहीं है । सेटलमेंट विभाग के ये इन्द्राज त्रुटिपूर्ण हैं । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 15 के अनुसार खसरा नम्बर 246 के नये नम्बर 1943 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा कायम किये गये हैं और विक्रय पत्र प्रदर्श–1 के अनुसार रामा ने वादग्रस्त आराजी

खसरा नम्बर 1943 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए उसका विक्रय नन्दकिशोर को किया है जबकि रिकॉर्ड के अनुसार केचमेंट के उपरान्त कायम किये गये नये खसरा नम्बर 1943 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा रामा का है अर्थात् उसका 1/6 हिस्सा है क्योंकि नकल जमाबन्दी प्रदर्श–9 के अनुसार खसरा नम्बर 78/1 तीन सहखातेदार मंगला, रामा और सरया के नाम दर्ज है । चूँकि सेटलमेंट के उपरान्त नये खसरा नम्बर 246 में रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा में 7 बीघा मंगला, सरिया और रामा एवं 04 बीघा 09 बिस्वा बाला आत्मज गोपाल का है । ऐसी स्थिति में सेटलमेंट विभाग ने इसमें मंगला, रामा का 1/2 हिस्सा ओर बाला का 1/2 हिस्सा भी त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया है और नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 15 में केचमेंट के उपरान्त कायम किये गये नये खसरा नम्बर 1943 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा में मंगला, सरया और रामा का आनुपातिक हिस्सा 07 बीघा में हिसाब से ही निर्धारित किया जावेगा और बाला आत्मज गोपाल का हिस्सा 04 बीघा 09 बिस्वा के अनुपात में दर्ज किया जावेगा । ऐसी स्थिति में रामा के द्वारा जो विक्रय प्रदर्श– 1 लिखा गया है वो उनके हिस्से की सीमा तक ही वैध होगा उससे अधिक के लिए अवैध होगा । वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें यह अंकित किया गया है कि रामा के 02 पुत्र हुए मोडू एवं लटूर । मोडू मंगला की मृत्यु के बाद उसके गोद चला गया था और सरया के 01 पुत्र है रामदेव । जबकि दूसरा दावा जो कि माधोलाल एवं अन्य ने पेश किया है उसमें यह कथन किया गया है कि सरया के रामदेव के अलावा अन्य भी वारिस हैं । ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मंगला के उत्तराधिकारियों, सरया के उत्तराधिकारियों एवं रामा का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निर्धारित किया जाना आवश्यक है । रामा के हिस्से की सीमा तक ही विक्रय पत्र प्रदर्श–1 को वैध माना जा सकता है और उस सीमा तक ही नन्दकिशोर वादी को वादग्रस्त आराजी में खातेदार घोषित किया जा सकता है ।

18. दूसरा दावा माधोलाल बनाम ग्यारसीलाल में वादीगण ने यह कथन किया है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी उनके खाते की है और मंगला, सरया और रामा ने त्रुटिपूर्ण रूप से इनके 02 नम्बर करके 07 बीघा आराजी अपने खाते दर्ज करवा ली है परन्तु इनको वो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं क्योंकि सेटलमेंट से पूर्व की नकल जमाबन्दी प्रदर्श–9 में खसरा नम्बर 78/1 के सहखातेदार मंगला, सरया और रामा दर्ज हैं । इस दावे में उनके द्वारा हक घोषणा एवं बेदखली की सहायता मांगी गई है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वो सहखातेदार दर्ज हैं और जब तक वो विभाजन की सहायता नहीं मांगते हैं तब तक उनको बेदखली की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । इस दावे में नन्दकिशोर के द्वारा जवाबदावा दिनांक 27.03.2004 को पेश किया गया है और इसमे अन्य आक्षेप में मद संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि वादीगण के पूर्वजों ने विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 10 को विक्रय कर संभला दी थी तब से इस पर वो काश्त कर रहे हैं इसमें तिथि एवं विक्रय पत्र का हवाला नहीं दिया गया है । इसके उपरान्त नन्दकिशोर के कायममुकामान ने काउन्टर क्लेम पेश किया है जिसमें तिथि अंकित नहीं है । जब उनके पिता पूर्व में जवाबदावा पेश कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में बिना इसमें संशोधन की अनुमति के वो नया काउन्टर क्लेम पेश करने के अधिकारी नहीं हैं और न ही इसके आधार पर कोई तनकी कायम की जा सकती है । परीक्षण न्यायालय ने इसके आधार पर तनकी नम्बर 02 कायम की है जो त्रुटिपूर्ण है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति की आराजी पर प्रतिकूल कब्जे या विक्रय के इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी प्रतिवादीगण को प्रदान नहीं की जा सकती । यह धारा 42 बी के उल्लंघन में यदि विक्रय किया गया है तो सरकार की ओर से तहसीलदार तालेडा विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । इस प्रकरण में सेटलमेंट विभाग द्वारा जो

त्रुटियॉ की गई हैं उनके बाबत् तहसील से एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त किया जाना भी अपेक्षित है ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट एवं क्रॉस अपील संख्या 2020/00177 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 10.01.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 17 व 18 में किये गये विवेचन के मध्यनजर सर्वप्रथम तहसील से एक विस्तृत रिपोर्ट साबिक खसरा नम्बर 78 एवं 78/1 और उनके कायम किये गये नये नम्बर एवं उनके खातेदारान के बाबत् प्राप्त करें तदोपरान्त केचमेंट के उपरान्त कायम किये गये नये खसरा नम्बर 1943 में पक्षकारों का आनुपातिक हिस्सा तय करें । मंगला, रामा और सरया के उत्तराधिकारियों का इस वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिस्सा तय कर रामा के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर वादी नन्दकिशोर के कायममुकमान का हिस्सा निर्धारित करें । यदि दूसरे दावे के वादीगण माधो एवं मांगीलाल बेदखली की सहायता के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो वे पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस दावे में तनकियात नन्दकिशोर के द्वारा दिनांक 27.03.2004 को पेश किये गये जवाबदावे के आधार पर ही कायम की जावे । तदोपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पुनः निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 01.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । निर्णय की एक प्रति तहसीलदार तालेडा को प्रेषित की जावे ।

20. निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा